

कार्यालय: सचिव, उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद्, रामनगर (नैनीताल)
पत्रांक : उ0वि0शि0प0 / डी0एल0एड0प्र0प02025 / विज्ञप्ति 03 / 414-415 / 2025-26 दिनांक 15 अक्टूबर 2025

**द्विवर्षीय डिप्लोमा इन एलीमेंटरी एजुकेशन (D.E.Ed) प्रशिक्षण हेतु आयोजित होने वाली
प्रवेश परीक्षा 2025 में सम्मिलित होने वाले दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए श्रुतलेखक (SCRIBE) सम्बन्धी सूचना**

उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद् रामनगर (नैनीताल) की विज्ञप्ति उ0वि0शि0प0 / डी0एल0एड0प्र0प02025 / विज्ञप्ति 01 / 326-330 / 2025-26 दिनांक 06 सितम्बर 2025 के द्वारा दिनांक 22 नवम्बर 2025 को द्विवर्षीय डी0एल0एड0 (D.E.Ed) प्रशिक्षण हेतु प्रवेश परीक्षा 2025 प्रस्तावित है।

ऐसे दिव्यांग अभ्यर्थी जिनके द्वारा अपने ऑनलाइन आवेदन में श्रुतलेखक का दावा किया गया है, द्वारा श्रुतलेखक की व्यवस्था स्वयं की जायेगी एवं श्रुतलेखक के सम्बन्ध में निर्गत परिशिष्ट 4 (I) प्रारूप, श्रुतलेखक से सम्बन्धित परिशिष्ट 4 (II) प्रारूप एवं परिशिष्ट 5 प्रारूप परिषद् की वेबसाइट www.ubse.uk.gov.in से डाउनलोड कर अथवा प्रारम्भिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा (D.EL.ED.) प्रशिक्षण हेतु प्रवेश परीक्षा 2025: सूचना विवरणिका से डाउनलोड कर पूर्णतः भरते हुए अभ्यर्थी का दिव्यांगता प्रमाण पत्र, श्रुतलेखक की आवक्ष फोटो, श्रुतलेखक की शैक्षिक योग्यता सम्बन्धी अंकतालिका/प्रमाण पत्र ई-मेल deled2015@gmail.com पर दिनांक 03 नवम्बर 2025 तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। श्रुतलेखक की उच्चतम शैक्षिक योग्यता उक्त परीक्षा हेतु निर्धारित अनिवार्य शैक्षिक योग्यता से एक स्तर कम होगी अर्थात् इण्टरमीडिएट स्तर की होगी, किन्तु किसी भी दशा में हाईस्कूल से न्यून नहीं होगी।

परिषद् द्वारा निर्धारित तिथि 03 नवम्बर 2025 तक वांछित अभिलेख परिषद् कार्यालय को उपलब्ध कराने वाले को ही परिषद् द्वारा श्रुतलेखक की सुविधा की अनुमति प्रदान की जायेगी। उक्त तिथि के पश्चात श्रुतलेखक सम्बन्धी किसी भी दिव्यांग अभ्यर्थी के प्रत्यावेदन पर परिषद् द्वारा विचार नहीं किया जायेगा।


सचिव

उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद्
रामनगर (नैनीताल)

पृ0सं0: उ0वि0शि0प0 / डी0एल0एड0प्र0प02025 / विज्ञप्ति 03 / 414-415 / 2025-26 दिनांक तददिनांकित।
प्रतिलिपि:— सम्पादक, अमर उजाला, दैनिक जागरण, उत्तर उजाला, राष्ट्रीय सहारा एवं हिन्दुस्तान, को इस आशय के साथ प्रेषित कि वे संलग्न विज्ञप्ति को 6X10 सेमी0 के साइज में शासकीय दरों पर अपने लोकप्रिय सामाचार पत्र के उत्तराखण्ड संस्करण (ऐसे पृष्ठ पर जिसका प्रचार-प्रसार सम्पूर्ण राज्य में हो) में प्रकाशित करने का कष्ट करें। बिल भुगतान हेतु जिला सूचना अधिकारी से दरें प्रमाणित करवाकर दो प्रतियों में इस कार्यालय को प्रस्तुत करें। बिल के साथ समाचार पत्र की मूल प्रति भी अनिवार्यतः संलग्न करें।


सचिव

उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद्
रामनगर, नैनीताल